



कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

(सर्व शिक्षा अभियान)



पत्रांक.....201.....

प्रेषक :-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक  
सरला ब्रह्मा बाल विद्या मंदिर,  
रुलही, प्रखंड—मोतिहारी पूर्वी चम्पारण।

मोतिहारी दिनांक 09/09/2019

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन—पत्र दिनांक—29.04.2019 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय सरला ब्रह्मा बाल विद्या मंदिर, (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) रुलही, प्रखंड—मोतिहारी पूर्वी चम्पारण कक्षा से 1—8 तक संचालन हेतु पत्र निर्गत की तिथि से 31.03.2022 अवधि के लिए औपचंडिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :—

1. प्रस्तीकृति किसी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक—1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक—2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कड़िका 3 में उद्घृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय—अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता—पिता या अभिमावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म—स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकार नहीं कर सकेंगा।

Principal

Sarla Brahma Bal Vidya Mandir

Rulahi, Motihari

Aff. No.-330681; Sch No.-65679

Chairman

Sarla Brahma Bal Vidya Mandir,  
Rulahi, Motihari

- i- किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- ii- किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- iii- किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- iv- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

v- अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi- शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii- शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii- विद्यालय राज्य निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में सलग्न नहीं होगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसार करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बारकार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नतः-

विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल— 1.5 एकड़

कुल निर्मित क्षेत्र— 05 कर्डठा

खेल का मैदान का क्षेत्र— हाँ

वर्ग कक्षों की कुल संख्या— 14

प्रधानाध्यापक—सह-कार्यालय—सह-मंडार कक्ष— हाँ

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग—अलग शौचालय— हाँ

पेयजल की सुविधा— हाँ

माध्याहन भोजन के लिए रसोई—घर— नहीं

बाधारहित पहुँच— हाँ

शिक्षक अधिगम सामग्री/खेल—कूद उपकरण/पुस्तकालय— हाँ


11. कोइ भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

  
**Chairman**  
 Sarla Brahma Bal Vidya Mandir  
 Rulahi, Motihari

  
**Principal**

Sarla Brahma Bal Vidya Mandir  
 Rulahi, Motihari  
 Aff. No.-330681; Sch No.-65679

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीकृति कोड संख्या—**EC-MOT/208/17-18** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय—समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसायटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक—III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

विश्वासभाजन

जिला कार्डकम् पदाधिकारी,  
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान,)  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

Chairman  
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir  
Rulahi, Motihari



Principal  
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir  
Rulahi, Motihari  
Aff. No.-330681; Sch No.-65679